BULANDSHAHR POLICE

दिनांक – 05 अप्रैल, 2025 **थाना ककोड़**

आश्रम में चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी किये गये सामान व अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 04.04.2025 को थाना ककोड़ पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान आश्रम में चोरी करने वाले चोर को एक शेष नाग की आकृति व अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना ककोड़ पर मुअसं-114/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. आकाश पुत्र अमृत सिंह निवासी ग्राम भौरा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 शेषनाग की आकृति(तांबे की)
2. 01 थाली
3. 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा थाना ककोड़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैर व ग्राम हसनपुर बक्सुआ के बीच बने आश्रम मे चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर मुअसं- 113/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं - 113/25 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं - 114/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धनीराम गौतम, उ0नि0 नागेन्द्र सिंह
2. का0 विवेक कुमार

मीडिया सेल, बुलंदशहर